भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3423

जिसका उत्तर 15 जुलाई, 2019/24 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया गया

आरआरबी का निजीकरण

3423. श्री डी॰ रविकुमारः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के निजीकरण की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश के आरआरबी को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) और (ख): क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के निजीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(ग): सरकार द्वारा आरआरबी को सशक्त बनाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

1. एक राज्य में आरआरबी का समामेलन आरआरबी के उपरी व्यय को न्यूनतम करने, प्रौद्योगिकी के उपयोग को इष्टतम करने, परिचालन क्षेत्र तथा पूंजी आधार को बढ़ाने और अपने निवेश को बढ़ाने में उन्हें सक्षम बनाने के उद्देश्य से किया गया है।
2. आरआरबी को उनकी पूंजी को बढ़ाने हेतु पुनर्पूंजीकरण सहायता मुहैया कराई जाती है ताकि वे विनियामकीय पूंजी अपेक्षाओं का अनुपालन कर सकें।
3. नाबार्ड द्वारा राष्ट्रीय स्तर की बैठकों तथा राज्य स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) की बैठकों के आयोजन के माध्यम से व्यवसाय विविधिकरण, लाभ संबंधी योजना, राजस्व प्रबंधन तथा एनपीए प्रबंधन सहित आरआरबी के वित्तीय कार्य निष्पादन की आवधिक समीक्षा।
4. नाबार्ड द्वारा नियमित रूप से क्षमता निर्माण के प्रयास जैसे बैंकर ग्रामीण विकास संस्थान (बीआईआरडी) में प्रशिक्षण, संघटनात्मक विकास पहल (ओडीआई) का आयोजन, परिचयात्मक दौरा (एक्सपोजर विजिट) इत्यादि किए जाते हैं।
5. नाबार्ड द्वारा मानव संसाधन से संबंधित मामलों में आरआरबी को नियमित नीतिगत सहायता प्रदान की जाती है तथा संयुक्त परामर्शदात्री समिति (जेसीसी) के माध्यम से शिकायतों के निपटान की व्यवस्था की गई है।

*****